राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा विषय पर पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

दिनांक 28 जुलाई 2017

प्रशिक्षण रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सेव द् चिल्ड्रन, राजस्थान जयपुर के सहयोग से दिनांक 28 जुलाई 2017 को पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारयों का महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा पर अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कहा कि इस प्रशिक्षण के द्वारा पुलिस अधिकारियों व बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों की संवेदनशीलता को बढाना है ताकि पुलिस अधिकारी थाने पर आने वाली महिलाओं के प्रति त्वरित कार्यवाहियाँ कर सके। पुलिस अधिकारी एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप साथ मिलकर लैंगिक हिंसा से पीडित बालिकाओं एवं महिलाओं को परामर्श एवं पुनर्वास के लिए बेहतर सेवाएं दे सकेंगे।

श्री रमाकान्त सतपथी, सहायक प्रबन्धक सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने जेण्डर अवधारणा पर अपनी बात रखी। उन्होने समाज द्वारा महिलाओं एवं पुरूषों में कार्य विभाजन की प्रक्रियाओं को बताया। उन्होने जोर देकर कहा कि महिलाओं में जब पुरूषों के समान होने का अहसास नहीं होगा तब तक इसके लिए काम करते रहना होगा। भारतीय संविधान महिलाओं को कानूनन समानता, जाति, लिंग आधारित भेदभाव की मनाही एवं अवसरों में बराबरी का अधिकार देता है। जेण्डर संवेदनशीलता की आवश्यकता पर कहा कि इससे लिंग सम्बन्धी भेदभाव को मिटाकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सम्मान और सकारात्मकता को बढावा मिलता है। रघुनन्दन शर्मा, जिला कार्यक्रम समन्वयक, सेव दी चिल्ड्रन, जयपुर ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति पूर्व धारणाएं नहीं रखते हुए उन्हें अधिक अवसर दिये जाने चाहिये। उन्होनें पितृसतात्मक समाज के विकास की प्रक्रिया बतायी जिसे शिक्षा एवं जागरूकता से समाप्त किया जा सकता है। सुश्री जसविन्दर कौर सेव दी चिल्ड्रन, जयपुर, ने लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूप कन्या भ्रूण हत्या, पोषण में भेदभाव एवं बाल विवाह के बारे में जानकारी दी। उन्होनें महिलाओं के लिए पारम्परिक रूढिगत धारणाओं को बढावा देने में व्यक्तियों का नजरिया, पाबन्दियॉ, रीति रिवाज, भाषा एवं मीडिया की भूमिकाएं बतायी एवं शिक्षा को बढावा देकर इसे कम किये जाने की बात कही। अनुकृति उज्जैनियां,

सहायक निदेशक, आरपीए ने सत्र को सम्बोधित कर सुरक्षा के संदर्भो में महिलाओं के लिए भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा कानून 2012 पर जानकारियां दी। उन्होनें इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई एवं त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालत की स्थापना अपराध एवं सजाओं, मामलों की रिपोर्ट की प्रक्रिया, पीडित के लिए राहत और पुनर्वास, विशेष लोक अभियोजक, शीघ्र निपटान एवं केन्द्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होनें कानूनी प्रावधानों के अनुसार बाल कल्याण समिति से सहयोग लेने एवं उन्हें प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की प्रति तुरन्त उपलब्ध कराने के लिए कहा। धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 एवं बाल प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर सम्बोधित किया। उन्होने भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को चिन्ता विषय बताया एवं कहा कि अगर समाज में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण होगा तो समाज में ऐसी प्रवृतियों के प्रति मानसिकता में बदलाव आयेगा।

संजय शर्मा, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने सम्बोधित करते हुए अकादमी के साथ किये गये प्रशिक्षणों के लिए निदेशक महोदय का आभार व्यक्त किया भविष्य में भी बालिकाओं एवं महिलाओं के लैंगिक भेदभाव से सुरक्षा के लिए मिलकर कार्य करने की अपेक्षाएं व्यक्त की।

समापन सत्र को मुख्य अतिथि राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस आकादमी ने कहा कि महिलाओं को समाज में पूर्ण सुरक्षा के सहित सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए है, इसके लिए मिलकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होने बालिकाओं एंव महिलाओं की सुरक्षा के लिए वातावरण बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को समाज में कार्यरत संस्थाओं से मदद लेने के लिए कहा। निदेशक महोदय द्वारा समापन सत्र के दौरान सम्मिलित पुलिस अधिकारियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र वितरित किये गये।

कार्यक्रम के अन्त: में धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने मुख्य अतिथि महोदय एवं सहभागी पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण में डूंगरपुर, बांसवाडा एवं अन्य जिलों के 39 पुलिस अधिकारियों सहित डूंगरपुर जिले की बाल कल्याण समिति के सदस्य हुए।